



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266438
CG-DL-E-26092025-266438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4220]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/ आश्विन 1, 1947

No. 4220]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4338(अ).—केंद्रीय सरकार ने ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 2298 (अ), तारीख 22 मई, 2025, के द्वारा एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, के उप-खंड (ii) में प्रकाशित की है, जिसमें इन प्रारूप अधिसूचनाओं वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और, उक्त सरकारी राजपत्र की प्रतियां 22 मई, 2025 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त नियमों के संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, पशुओं के उपयोग के लिए उक्त औषधियों के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और, केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट पशु के उपयोग के लिए किसी भी रोगाणुरोधी औषधीय उत्पादों के आयात, उत्पादन, विक्रय और वितरण को प्रतिबंधित करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 10क और 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात्, निम्नलिखित रोगाणुरोधियों और ऐसे रोगाणुरोधियों के समूह तथा पशु के उपयोग हेतु उनके फार्मूलों के आयात, विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषिद्ध करती है, अर्थात्: -

1. एंटीबायोटिक्स

- i. यूरिडोपेनिसिलिन
- ii. सेफ्टोबिप्रोल
- iii. सेफ्टारोलाइन
- iv. साइडरोफोर सेफलोस्पोरिन्स
- v. कार्बापेनेम्स
- vi. पेनेम्स
- vii. मोनोबैक्टम्स
- viii. ग्लाइकोपेप्टाइड्स
- ix. लाइपोपेप्टाइड्स
- x. ऑक्साज़ोलिडिनॉन्स
- xi. फ़िडैक्सोमाइसिन
- xii. प्लाज़ोमाइसिन
- xiii. ग्लाइसिलसाइक्लिन
- xiv. एरावासाइक्लिन
- xv. ओमाडासाइक्लिन

2. एंटीवायरल्स

- i. अमांताडाइन
- ii. बैलोकज़ाविर मारबॉक्सिल
- iii. सेल्गोसिविर
- iv. फैविपिराविर
- v. गैलीडेसिविर
- vi. लैक्टिमिडोमाइसिन
- vii. लैनिनामाइविर
- viii. मेथिसाज़ोन/ मेटिसाज़ोन
- ix. मोलनुपिराविर
- x. निटाज़ोक्सानाइड
- xi. ओसेल्टामिविर
- xii. पेरासिविर
- xiii. रिबावायरिन
- xiv. रिमांटाडाइन
- xv. टाइज़ोक्सानाइड
- xvi. ट्रायज़ाविरिन

- xvii. उमिफेनोविर
xviii. जानामाइविर

3. एंटीप्रोटोजोल्स

नीटाजोक्सानाइड

[फा. सं. एक्स.11035/125/2024-डीआर]

निखिल गजराज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O. 4338(E).—WHEREAS, the Central Government has published a draft notification, in exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 2298 (E), dated the 22nd May, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft notification are made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 22nd May, 2025;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public on the said rules;

AND WHEREAS, safer alternatives to the said drugs for animal use are available;

AND WHEREAS, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit the import, manufacture, sale, and distribution of any antimicrobial medicinal products for animal use as specified in this notification;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sections 10A & 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, the Central Government hereby prohibit the import, manufacture, sale and distribution of the following antimicrobials and group of such antimicrobials and their formulations for animal use namely: -

1. Antibiotics

- i. Ureidopenicillins
- ii. Ceftobiprole
- iii. Ceftaroline
- iv. Siderophore cephalosporins
- v. Carbapenems
- vi. Penems
- vii. Monobactams
- viii. Glycopeptides
- ix. Lipopeptides
- x. Oxazolidinones
- xi. Fidaxomicin
- xii. Plazomicin
- xiii. Glycylcyclines
- xiv. Eravacycline
- xv. Omadacycline

2. Antivirals

- i. Amantadine
- ii. Baloxavir marboxil
- iii. Celgosivir
- iv. Favipiravir
- v. Galidesivir
- vi. Lactimidomycin
- vii. Laninamivir
- viii. Methisazone/ Metisazone
- ix. Molnupiravir
- x. Nitazoxanide
- xi. Oseltamivir
- xii. Peramivir
- xiii. Ribavirin
- xiv. Rimantadine
- xv. Tizoxanide
- xvi. Triazavirin
- xvii. Umifenovir
- xviii. Zanamivir

3. Antiprotozoals

Nitazoxanide

[F. No. X.11035/125/2024-DR]

NIKHIL GAJRAJ, Jt. Secy.